

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

केसर सिंह बनाम हनुमान सिंह वर्मा

किस्म मुकद्दमा... 30/5 नम्बर सन्... 20

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

3-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत ग्राम  
पंचायत शनीपुरा पर प्रस्तुत हुयी। वारी/प्रार्थी  
केसर सिंह उपस्थित प्रतिपक्षी नम्बर 1 त 3  
व 5, 6 की ओर से श्री शंभोजीलाल चौधरी  
Adv. उपस्थित वारी का मूल वाद खारिज  
किया जा चुका है। इस प्रार्थना पर के  
चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः  
प्रार्थी का प्रार्थन अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैलल मुखर डेकर  
नम्बर से कम हो तथा शकित मूल  
वाद है।

केसर सिंह  
प्रतिपक्षी  
101-3 व ड.  
6 की ओर से  
शंभोजीलाल

उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक